निदेशालय : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प. 1346/जांच/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 27-08-2019

सूचना 262

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन संख्या 9037 दिनांक 21.09.2015 द्वारा बीकानेर कार्यालय से दिनांक 20.12.2013 से लगातार बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने तथा अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। आप द्वारा आरोपों का जवाब प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप आपको कार्यालय नोटिस क्रमांक 180 दिनांक 23.06.2016 जारी किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में ही जवाब प्रस्तुत प्रस्तुत किया है, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक उक्त ज्ञापन संख्या 9037 दिनांक 21.09.2015 प्राप्त कर अधिरोपित किये गये आरोपों का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय को नोटिस जारी कर इनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के संबंध में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त नोटिस आपके निवास के पते पर तामील करवाने हेतु भिजवाया गया जो आपके निवास के पते पर नहीं रहने के कारण तामील नहीं हुआ।

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय को इस प्रकाशन के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप निदेशालय जयपुर में उपस्थित होकर उक्त ज्ञापन पत्र तथा जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रमाणित आरोपों के संबंध में अपना लिखित प्रत्युत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि आप उक्त निर्धारित अवधि में निदेशालय पर उपस्थित होकर ज्ञापन पत्र/जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त कर कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपके विरूद्ध एकतरफा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
रा.बी.एवं प्रा.नि. विभाग,
राज. जयपुर

क्रमांक : प. 1346/जांच/संस्था/बीमा/2019/6806-10 दिनांक : 27-08-2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक (सामान्य प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर को उक्त सूचना की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में एवं एक स्थानीय समाचार पत्र बीकानेर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाना सुनिशिचित करे। (संलग्न उपर्युक्तानुसार)
3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर को उक्त सूचना की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय का अन्य स्रोतों से इनके वर्तमान आवास के पते की जानकारी प्राप्त कर उक्त सूचना को इन्हे तामील करवाकर तामील रिपोर्ट भिजवावे। (संलग्न उपर्युक्तानुसार) **(रजिस्टर्ड)**
4. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

27/8/19
(के.एम.दूड़िया)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

C:\Users\HP\Downloads\27-8-19.doc

निदेशालय : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प. 1346/जांच/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 27-08-2019

सूचना 262

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन संख्या 9037 दिनांक 21.09.2015 द्वारा बीकानेर कार्यालय से दिनांक 20.12.2013 से लगातार बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने तथा अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। आप द्वारा आरोपों का जवाब प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप आपको कार्यालय नोटिस क्रमांक 180 दिनांक 23.06.2016 जारी किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में ही जवाब प्रस्तुत प्रस्तुत किया है, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक उक्त ज्ञापन संख्या 9037 दिनांक 21.09.2015 प्राप्त कर अधिरोपित किये गये आरोपों का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय को नोटिस जारी कर इनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के संबंध में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त नोटिस आपके निवास के पते पर तामील करवाने हेतु भिजवाया गया जो आपके निवास के पते पर नहीं रहने के कारण तामील नहीं हुआ।

श्री ललित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय को इस प्रकाशन के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप निदेशालय जयपुर में उपस्थित होकर उक्त ज्ञापन पत्र तथा जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रमाणित आरोपों के संबंध में अपना लिखित प्रत्युत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक माह के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि आप उक्त निर्धारित अवधि में निदेशालय पर उपस्थित होकर ज्ञापन पत्र/जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त कर कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपके विरूद्ध एकतरफा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Anand Swaroop

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
रा.बी.एवं प्रा.नि. विभाग,
राज. जयपुर

C:\Users\HP\Downloads\27-8-19 (2) (1).doc